[2021] 2 एस. सी. आर 863

उत्तर प्रदेश राज्य

वी.

जेएल सुपरिटेन्डेंट (आरओपीएआर) और अन्य।

(2020 की लिखित याचिका (आपराधिक) संख्या 409)

26 मार्च, 2021

[अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी, जेजे।]

भारत का संविधान/दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: कला. 32 / s.406 याचिका यू/आर्ट। 32 एस के साथ पढ़ें। 406 - रखरखाव -

विशेष न्यायाधीश के आदेश के अनुसार विशेष अदालत में स्थानांतरित और जिला जेल, बांदा, यूपी में बंद आरोपी-इस बीच आरोपी के खिलाफ जिला मोहाली, पंजाब यू/एस में मामला दर्ज किया गया। 386 और 506 आई. पी. सी. उत्पादन वारंट जारी करने के अनुसार, जिला जेल, बांदा, उत्तर प्रदेश के अधीक्षक ने विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक), इलाहाबाद की अदालत की अनुमति के बिना आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहाली, पंजाब को हिरासत में दे दिया।

-

इसके बाद, रिमांड आदेश पारित होने पर, आरोपी जिला जेल, रूपनगर, पंजाब में बंद है और तब से वह उक्त जेल में बना हुआ है-पिछले दो वर्षों से, यूपी की विभिन्न अदालतों के समक्ष आरोपी को पेश करने के लिए कई वारंट जारी किए गए हैं, लेकिन जेल में। रूपनगर, पंजाब के अधिकारियों ने इस बहाने हिरासत देने से इनकार कर दिया कि आरोपी अस्वस्थ था-रिट याचिका यू/आर्ट। 32 आरडब्ल्यू एस।

406 उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पंजाब राज्य और मोहाली, पंजाब के न्यायिक मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहाली के समक्ष लंबित आपराधिक मामले में आपराधिक कार्यवाही और मुकदमे को विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक), इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई है और जेल अधीक्षक, रूपनगर और पंजाब राज्य को रूपनगर जेल, जिला रोपड़, पंजाब से आरोपी की हिरासत जिला जेल बांदा, उत्तर प्रदेश को सौंपने का निर्देश दिया गया है। राज्य, एक अभियोजन एजेंसी होने के नाते

आपराधिक प्रशासन, ऐसे प्रशासन में अत्यंत रुचि रखता है, इस प्रकार, राज्य को धाराओं की उप-धारा (2) के अर्थ के भीतर एक "इच्छुक पक्ष" माना जाता है। 406 और यू/एस याचिका दायर करें। 406 बनाए रखने योग्य है-हालांकि, हस्तांतरण के लिए राहत मांगी गई है मामला मंजूर नहीं किया

जाता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन माथौर, जिला मोहाली, पंजाब की फाइल पर आपराधिक मामले में कोई अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की जाती है।

पुलिस और यह जाँच के चरण में है और इस तरह, एस। 406 Cr.P.C. को सेवा में नहीं लगाया जा सकता है-जहां तक संबंध है, एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरण, एक दोषी या एक विचाराधीन कैदी, जो देश के कानून की अवज्ञा करता है, देश से उसके स्थानांतरण का विरोध नहीं कर सकता है। एक जेल से दूसरी जेल-अदालतों को एक असहाय दर्शक नहीं होना चाहिए, जब कानून के शासन को दंड से मुक्ति के साथ चुनौती दी जा रही है-कानून के हथियार स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त हैं-ऐसी स्थितियों में, यह न्यायालय यू/आर्ट की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 142 कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का आदेश देना, इस प्रकार, जेल अधीक्षक रूपनगर और पंजाब राज्य को सौंपने के निर्देश जारी करना।

अभियुक्त की दो सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य को अभिरक्षा, ताकि उसे उत्तर प्रदेश में जिला जेल, बांदा में रखा जा सके जहाँ जेल अधिकारी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करेंगे।

अभियुक्त।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 406 - शब्दों के तहत शक्ति "इच्छुक पक्ष"-की व्याख्या-आयोजित: एस. 406 इस न्यायालय को मामलों के हस्तांतरण और अपील करने की शक्ति प्रदान करता है

भारत के महान्यायवादी या किसी इच्छुक पक्ष द्वारा दायर आवेदन-आपराधिक प्रशासन प्रणाली में, राज्य अभियोजन एजेंसी है, जो राज्य के लोगों के लिए और उनकी ओर से काम करती है, जैसे कि राज्य को एस के अर्थ में रुचि रखने वाला पक्ष कहा जा सकता है। 406 (2) संहिता-"इच्छुक पक्ष" शब्दों का व्यापक महत्व है और इस प्रकार, एक व्यापक अर्थ देकर व्याख्या की जानी चाहिए-कारण को आगे बढ़ाने के लिए क़ानून की व्याख्या की जानी चाहिए।

क़ानून की और उसे पराजित करने के लिए नहीं-क़ानूनों की व्याख्या।

आंशिक रूप से रिट याचिका को अनुमति देते हुए और स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32/आपराधिक संहिता की धारा 406 के तहत दायर तत्काल याचिका

प्रक्रिया, 1973 को संहिता की धारा 406 के तहत बनाए रखने योग्य माना जाता है। मामले को स्थानांतरित करने के लिए मांगी गई राहत-तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही और आपराधिक मामले में मुकदमे को स्थानांतरित करना-मऊ जिले, यूपी के मौजूदा विधायक, न्यायिक

मजिस्ट्रेट, मोहाली के समक्ष, विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक), इलाहाबाद, यूपी की अदालत को नहीं दिया जाता है, क्योंकि 2019 के अपराध मामले में मामला, पुलिस स्टेशन माथौर की फाइल पर है।

जिला मोहाली, पंजाब, जाँच के चरण में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम।

जेइल सुपरइंटेन्डेंट (आरओपीएआर)

Cr.P.C की धारा 406 को सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। उसी समय, के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग में

भारत का संविधान, निर्देश जारी किए जाते हैं जो प्रतिवादी नं। 1 - जेल अधीक्षक, रूपनगर और प्रतिवादी नं। 2 - पंजाब राज्य, तीसरे प्रत्यर्थी की अभिरक्षा निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य को सौंप देगा, ताकि उसे उत्तर प्रदेश राज्य की जिला जेल, बांदा में रखा जा सके। इलाहाबाद में सांसदों/विधायकों के लिए गठित विशेष अदालत के लिए यह खुला है कि वे उन्हें जिले में भी बनाए रख सकें।

बांदा में जेल या उत्तर प्रदेश राज्य में किसी अन्य जेल में स्थानांतरित, यदि कोई आवश्यकता हो। जेल अधीक्षक, जिला जेल बांदा, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया जाता है कि वे तीसरे प्रतिवादी को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि तीसरे उत्तरदाता को किसी विशेष उपचार की आवश्यकता है, तो जेल

जिला जेल, बांदा, उत्तर प्रदेश के अधीक्षक जेल नियमावली का पालन करते हुए ऐसी चिकित्सा देखभाल का विस्तार करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाएंगे। [पैरा 28] [894-सी-एच; 895-ए]

1.2 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 के सरल अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय को आवेदन पर मामलों और अपीलों के हस्तांतरण की शक्ति प्रदान की गई है।

भारत के महान्यायवादी या किसी इच्छुक पक्ष द्वारा दायर किया गया। यह निवेदन कि याचिकाकर्ता-राज्य इच्छुक पक्षकार नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध को बड़े पैमाने पर राज्य और जनता के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए। आपराधिक प्रशासन प्रणाली में, राज्य अभियोजन करता है।

एजेंसी, जो राज्य के लोगों के लिए और उनकी ओर से काम करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि "इच्छुक पक्ष" को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। शब्द "पार्टी"

"इच्छुक" का व्यापक महत्व है और इसलिए, एक व्यापक अर्थ देकर उनकी व्याख्या की जानी चाहिए। विभिन्न कानूनों में "पीड़ित पक्ष", "कार्यवाही का पक्ष" और "इच्छुक पक्ष" जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। यदि उपयोग किए गए शब्द "कार्यवाही में पक्षकार" या "मामले में पक्षकार" के प्रभाव के लिए हैं, तो इसका सीमित अर्थ दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में, विधायिका का इरादा सीमित अर्थ देने के लिए स्पष्ट है। लेकिन, साथ ही, "इच्छुक पक्ष" के रूप में उपयोग किए जाने वाले शब्द, जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, उन्हें एक व्यापक [2021] 2 एस. सी. आर. दिया जाना चाहिए।

अर्थ। आपराधिक प्रशासन में एक अभियोजन एजेंसी के रूप में,

राज्य को संहिता की धारा 406 (2) के अर्थ में रुचि रखने वाला पक्ष कहा जा सकता है। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि क़ानून की व्याख्या क़ानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए न कि उसे पराजित करने के लिए। याचिकाकर्ता-राज्य, आपराधिक प्रशासन में एक अभियोजन एजेंसी होने के नाते, महत्वपूर्ण है ऐसे प्रशासन में रुचि रखने वाले राज्य को संहिता की धारा 406 की उप-धारा (2) के अर्थ के भीतर "इच्छुक पक्ष" माना जाता है। यह याचिका, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत दायर की गई है, राज्य के कहने पर विचारणीय है। इस विषय पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है कि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका की स्थिरता। [पैरा 18,19] [884-एफ-एच; 885-ए-डी, ई-एफ]

के. अनबाझगन बनाम। पुलिस अधीक्षक और अन्य। 2004 (3) एससीसी 76 7: [2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 610-पर निर्भर।

1.3 अपराध सं. में जांच के रूप में। 05 पुलिस थाना माथौर, जिला मोहाली, पंजाब राज्य की फाइल पर वर्ष 2019 अभी भी है।

जाँच के चरण में और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के अभाव में, याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत स्थानांतरण की मांग करने वाला कोई मामला नहीं बनाया जाता है, जिसके लिए रिट याचिका में राहत मांगी गई है। [पैरा 21] [886-ई-एफ]

राम चंदर सिंह सागर (डी. आर.) बनाम तमिलनाडु राज्य 1978 (2) एस. सी. सी. 35: [1978] 2 एस. सी. आर. 604 संदर्भित है।

1.4 यह स्पष्ट रूप से एक हद तक राहत देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारी शक्ति का उपयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

विवाद है कि मामलों और स्थिति के संबंध में, जो हैं विशेष न्यायाधीश, सांसद/विधायक, इलाहाबाद के समक्ष लंबित सुनवाई, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए चार्ट का अवलोकन, इंगित करता है कि तीसरा प्रतिवादी विभिन्न मामलों में शामिल है।

गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराधों के अलावा हत्या, हत्या, धोखाधड़ी, साजिश आदि। उक्त मामले, जैसा कि उल्लेख किया गया है

याचिकाकर्ता, जिनकी संख्या दस में है, मुकदमे के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने उन मामलों को प्रस्तुत किया है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ वारंट जारी किए गए थे।

जेइल सुपरइंटेन्डेंट (आरओपीएआर)

मऊ आदि जिलों में पंजीकृत विभिन्न अपराधों में न्यायालयों द्वारा, और जब पुलिस अभिरक्षा लेने गई, तो प्रथम प्रतिवादी ने चिकित्सा आधार पर अभिरक्षा सौंपने से इनकार कर दिया था। उत्पादन न होने के कारणों का उल्लेख सारणीबद्ध रूप में किया गया है। 14.02.2019 से 14.02.2020 तक की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश की पुलिस को 26 मौकों पर प्रथम प्रतिवादी द्वारा हिरासत से इनकार कर दिया जाता है। अभिरक्षा नहीं देने के कारणों के अवलोकन से पता चलता है कि यह मुख्य रूप से चिकित्सा पर है। मधुमेह मेलिटस, त्वचा एलर्जी, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द, गले के संक्रमण आदि का उल्लेख करने वाले आधार। हालांकि, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि अपराध सं. 05 से

2019 थाना माथौर, जिला मोहाली, पंजाब की फाइल पर तीसरे प्रत्यर्थी के कहने पर साजिश का एक हिस्सा है ताकि विशेष अदालत में लंबित मुकदमों को आगे बढ़ा कर और जांच पूरी करने के लिए उसके खिलाफ दर्ज विभिन्न अन्य अपराधों में उसकी उपस्थिति से इनकार करके पंजाब की जेल में बना रहे। इस स्तर पर साजिश के इस तरह के आरोप पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन साथ ही, यह न्यायालय संतुष्ट है कि मधुमेह, त्वचा जैसी सामान्य बीमारियों का उल्लेख करके चिकित्सा आधारों की आड़ में हर बार मामूली आधार पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को हिरासत से इनकार किया जाता है। एलर्जी, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द, गले का संक्रमण आदि। इसके अलावा, यह कानूनी अवधि के भीतर पुलिस, थाना माथौर, जिला मोहाली, पंजाब द्वारा अंतिम रिपोर्ट (आरोप पत्र) दाखिल नहीं करने के लिए, डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए आवेदन भी नहीं करने में तीसरे प्रतिवादी के आचरण पर कोई भी संदेह देता है। हालाँकि, यह तीसरे प्रतिवादी का मामला है, जो मांगी गई राहत का विरोध करता है, इस आधार पर कि उसे अधिकांश मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थित होने की अनुमति है, लेकिन वही, अपने आप में, मांगी गई राहत का विरोध करने का कोई आधार नहीं है। हालाँकि, पहले के मामले विभिन्न सत्र न्यायालयों में लंबित थे और केवल मामलों को तेजी से ट्रैक करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 2018 में सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन किया गया है। ऐसे संविधान पर, वे सभी मामले जहां तीसरा प्रतिवादी आई. पी. सी. के तहत गंभीर अपराधों के लिए शामिल है और

गैंगस्टर एक्ट को विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था और सभी पर विभिन्न चरणों में मुकदमा लंबित है। विशेष अदालत के आदेशों के अनुसार, केवल तीसरे प्रतिवादी को बांदा [2021] 2 एस. सी. आर. में जेल में रखा गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य में, ताकि उसकी उपस्थिति का आदेश दिया जा सके, और

जब आवश्यकता हो। इसलिए, एक दोषी या विचाराधीन कैदी, जो देश के कानून की अवज्ञा करता है, एक जेल से दूसरी जेल में उसके स्थानांतरण का विरोध नहीं कर सकता है, एक दोषी या विचाराधीन कैदी हो सकता है, अदालतों को असहाय दर्शक नहीं होना चाहिए, जब कानून के शासन को दंड से मुक्त किया जा रहा है। ऐसी स्थितियों में, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है

कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का आदेश देना। हालाँकि, द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1950 नामक एक अलग अधिनियम है, जो सरकार द्वारा एक कैदी को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, लेकिन यह अधिनियम की धारा 3 के तहत सीमित है, इसलिए याचिकाकर्ता का दावा इसमें फिट नहीं होगा। तब भी यह न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कैदी के स्थानांतरण पर विचार कर सकता है।

परिस्थितियाँ, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है। कानून के हथियार स्थिति को सुधारने के लिए काफी लंबे हैं। यदि याचिकाकर्ता को कोई चिकित्सा संबंधी बीमारी है, तो जेल अधिकारियों द्वारा हर तरह की देखभाल की जाएगी, लेकिन साथ ही, मामूली बीमारियों का उल्लेख करके खराब स्वास्थ्य के विशाल अनुरोध पर, आरोपी/तीसरा प्रतिवादी

राहत का विरोध नहीं कर सकते, जैसा कि रिट याचिका में मांगा गया है। [पैरा 25] [889-बी-एच; 890-ए-जी]

आशा रंजन बनाम। बिहार राज्य 2017 (4) एससीसी 397: [2017]

1 एस. सी. आर. 945-पर निर्भर। भारत संघ बनाम। वी. श्रीहरण 2016 (7) एससीसी 1: [2015]

14 एससीआर 613; ए. पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशन

सोसायटी वी। सरकार. ए. पी. 1986 (2) एस. सी. सी. 667: [1986] 2 एस. सी. आर. 749; उज्जम बाई बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1963] 1 एस. सी. आर. 778; भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड v. वाणिज्यिक कर अधिकारी [1964] 4 एससीआर 99; कॉफी बोर्ड बैंगलोर बनाम। जे. टी. वाणिज्यिक कर अधिकारी मद्रास 1969 (3) एस. सी. सी. 349: [1970] 3 एससीआर 147; ए. बी. भास्कर राव बनाम सीबीआई 2011 (10) एससीसी 259: [2011] 12 एस. सी. आर. 718; हरियाणा राज्य बनाम। सुमित्रा देवी 2004 (12) एस. सी. सी. 322: [2003] 5 पूरक। एससीआर 351; सैहबा अली बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र 2003 (7) एससीसी 250; कल्याण चंद्र सरकार बनाम. राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव और अन्र। 2005 (3) एस. सी. सी. 284-संदर्भित।

उत्तर प्रदेश राज्य v. जेइल सुपरइंटेन्डेंट (आरओपीएआर)

मामला कानून संदर्भ

[2015] 14 एससीआर 613

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

[1986] 2 एससीआर 749

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1963] 1 एससीआर 778

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1964] 4 एससीआर 99

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

[1970] 3 एससीआर 147

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[2003] 5 पूरक। एससीआर 610

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[1978] 2 एससीआर 604

पै

रा 20,21

संदर्भित किया गया है

[2011] 12 एससीआर 718

पै

रा 25

संदर्भित किया गया है

[2003] 5 पूरक। एससीआर 351

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

(2003) 7 एससीसी 250

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

(2005) 3 एससीसी 284

पै

रा 25

संदर्भित किया गया है

[2017] 1 एससीआर 945

उस पर भरोसा करें

पै

रा 27

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका

(2020 का आपराधिक) No.409

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के साथ

2021 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 104-114

तुषार मेहता, एस. जी., मुकुल रोहतगी, वी. के. शुक्ला, दुष्यंत दवे,

श्री एड. , सुश्री गरिमा प्रसाद, कानू अग्रवाल, संजय अग्रवाल, सुश्री आस्था दीप, सुश्री पारुल शुक्ला, सुश्री देवांशी पोपट, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री नेहा सांगवान, सुश्री समतेन डोमा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

(लेखन याचिका (सीआरएल) 2020 का सं. 409) यह रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है।

भारत, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C) की धारा 406 के साथ पढ़ा गया, जिसमें प्रतिवादी-पंजाब राज्य [2021] 2 एस. सी. आर. को निर्देश देते हुए उचित निर्देशों की मांग करते हुए मैंडमस की रिट मांगी गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और पंजाब राज्य के मोहाली के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-I को 2019 के अपराध मामले में आपराधिक कार्यवाही और मुकदमे को स्थानांतरित करने के लिए,

पंजाब राज्य बनाम। मुख्तार अंसारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, मोहाली, पंजाब राज्य के समक्ष विशेष न्यायाधीश (एम. पी./एम. एल. ए.), इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की अदालत में लंबित है और प्रतिवादी Nos.1 और 2 को आगे के निर्देश के साथ आरोपी/तीसरे प्रतिवादी की हिरासत रूपनगर जेल, जिला रोपड़, पंजाब से जिले को सौंपने के लिए।

जेल बांदा, उत्तर प्रदेश। 2. याचिकाकर्ता-राज्य का मामला, जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है, इस प्रकार है:

इस न्यायालय द्वारा लिखित याचिका (सिविल) में जारी किए गए निर्देशों का पालन No.699/2016, जिसका शीर्षक अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य है। वी. भारत संघ और अन्य।, दिनांक 2 और 1 के आदेशों के अनुसार, विभिन्न न्यायालयों में लंबित सांसदों और विधायकों के खिलाफ सभी लंबित आपराधिक मामलों को सांसदों और विधायकों के मामलों से निपटने के लिए गठित विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। दस आपराधिक मामले, जो अभियुक्त/तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमे के लिए लंबित हैं, आदेश के अनुसार विभिन्न जिलों से विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिए गए थे

विशेष न्यायालय द्वारा पारित, अभियुक्त/तीसरे प्रतिवादी को जिला जेल, बांदा, उत्तर प्रदेश में रखा गया था, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सके। इसके बाद, मामलों को तेजी से निपटाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है और कुछ मामले बहस के चरण में पहुंच जाते हैं। II. यह याचिकाकर्ता का मामला है-यह बताएँ कि आरोपी/तीसरे प्रतिवादी द्वारा रची गई साजिश को देखते हुए, अपराध No.05 में एक मामला

2019 पंजाब राज्य के मोहाली जिले के थाना माथौर की फाइल पर आई. पी. सी. की धारा 386 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उक्त अपराध एक अनाम कॉल के आधार पर दर्ज किया गया है, जो कथित रूप से सुश्री रिज़वाना बानो द्वारा किया गया था। अनुसरण में पुलिस स्टेशन मोहाली, पंजाब में 2019 के अपराध No.05 के पंजीकरण के लिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, मोहाली, पंजाब ने Cr.P.C की धारा 267 के तहत पेशी वारंट जारी किया, और उसी के निष्पादन में, वरिष्ठ अधीक्षक जिला जेल, बांदा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य v.

जयल सुपरिटेन्डेंट (रोपार) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

विशेष अदालत (सांसद/विधायक) से अनुमति लिए बिना, इलाहाबाद ने आरोपी/तीसरे प्रतिवादी को न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहाली, पंजाब राज्य को हिरासत में दे दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, मोहाली, पंजाब द्वारा दिए गए रिमांड आदेश के अनुसार, तीसरे प्रतिवादी को पंजाब में रखा गया है।

रूपनगर जेल, पंजाब राज्य।

III. यह कहा गया है कि जेल अधीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई,

जिला जेल, बांदा, उत्तर प्रदेश ने Cr.P.C की धारा 267 (2) का उल्लंघन किया था और इसके परिणामस्वरूप, उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है और वही लंबित है। IV. यह आरोप लगाया गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, मोहाली, पंजाब ने आरोपी/तीसरे प्रतिवादी को अदालत में पेश किए जाने के बाद वापस जिला जेल, बांदा, उत्तर प्रदेश भेजने के बजाय, उसे 24.01.2019 पर जिला जेल, रूपनगर, पंजाब भेज दिया और तब से, वह उसी जेल में बना हुआ है। यह कहा गया है कि न तो आरोप पत्र दायर किया गया है और न ही तीसरे प्रतिवादी ने डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन किया है, जैसा कि विचार किया गया है।

Cr.P.C की धारा 167 (2) के तहत। V. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि आरोपी/तीसरा प्रतिवादी पंजाब की जेल में बने रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। हालांकि, से

दिनांकित 17.08.2019,27.08.2019,29.08.2019,02.09.2019,04.09.2019,08.09.2019,11.09.2019,13.09.2019,20.09.2019,26.09.2019,27.09.2019,29.09.2019 और 02.10.2019 की रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें दिखाया गया था कि आरोपी / 3 उत्तरदाता अस्वस्थ था। यद्यपि चिकित्सा विवरण मधुमेह, त्वचा एलर्जी, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द आदि जैसी बीमारियों को छोड़कर किसी भी गंभीर बीमारी का खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन तीसरे उत्तरदाता की अभिरक्षा से इनकार किया जाता है।

ऐसे स्वास्थ्य के आधार पर।

VI. यह आरोप लगाया जाता है कि यद्यपि राज्य ने उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न न्यायालयों के समक्ष अभियुक्त/तीसरे प्रतिवादी को पेश करने का हर संभव प्रयास किया है, जहां उसकी उपस्थिति आवश्यक है, लेकिन वह तीसरे प्रतिवादी को पेश नहीं कर सका क्योंकि उसे पंजाब में जेल अधिकारियों द्वारा हिरासत से वंचित कर दिया गया था और इस प्रकार, किसी न किसी बहाने से उत्पादन वारंट निष्पादित नहीं किए जा रहे हैं।

VII. सटीक रूप से, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि अभियुक्त/तीसरा प्रतिवादी [2021] 2 एस. सी. आर. के बाहर अपनी कैद जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश राज्य (पंजाब में) और अपनी उपस्थिति से बच रहा है

विशेष न्यायालय और अन्य न्यायालय, जहां उपस्थिति/विचारण/तर्क के लिए कई आपराधिक मामले सामने आए हैं।

3. जिला जेल अधीक्षक, रूपनगर, पंजाब (प्रथम प्रतिवादी) और पंजाब राज्य (द्वितीय प्रतिवादी) की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया जाता है। रिट याचिका में लगाए गए विभिन्न आरोपों का खंडन करते हुए, प्रतिवादी सं। 1 & 2 यह निम्नानुसार हैः I. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका है -

यह बनाए रखने योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता-उत्तर प्रदेश राज्य के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं है और इसके अलावा, रिट याचिका भी Cr.P.C की धारा 406 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है। यह Cr.P.C की धारा 406 के तहत कहा गया है। स्थानांतरण याचिका केवल भारत के अटॉर्नी-जनरल या किसी इच्छुक पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर बनाए रखने योग्य है, जैसे कि याचिकाकर्ता-उत्तर प्रदेश राज्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, मोहाली, पंजाब राज्य के समक्ष लंबित 2019 के मामले No.05 को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका को बनाए नहीं रख सकता है।

III. यह कहा गया है कि उक्त मामला श्री उमंग जिंदल, सी. ई. ओ., होमलैंड हाइट्स, मोहाली की शिकायत के मद्देनजर दर्ज किया गया है। पंजाब, जहाँ यह आरोप लगाया गया है कि मोबाइल No.6390407709 से कॉल आया था, जिसमें Rs.10 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी। जानकारी के अनुसार, आरोपी/तीसरे प्रतिवादी ने उसे 07.01.2019 पर बुलाया है, इसलिए मामला दर्ज किया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया।

उक्त मामले से संबंध। इसके अलावा, यह कहा गया है कि आरोपी/तीसरा

प्रतिवादी मोहम्मद। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश राज्य बनाम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामले की एफ. आई. आर. No.252 दिनांक 26.11.2014 में भी आरोपी के रूप में पेश किया गया था।

जेइल सुपरिटेन्डेंट (रोपार) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

पी. एस. मोरिडा की फाइल पर आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 242 और उक्त मामले के संबंध में, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

IV. यह कहा गया है कि जेल अभिलेखों के अनुसार, अभियुक्त/तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में 14 अन्य मामले लंबित हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य और उक्त मामलों में से, 06 मामलों में, संबंधित विचारण न्यायालयों ने अभियुक्त/तीसरे प्रतिवादी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी है और अभियुक्त/तीसरे प्रतिवादी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी है।

पहले से ही उन मामलों में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में लंबित अभियुक्त/तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ मामलों का विवरण सारणीबद्ध रूप में दिया गया है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, पीठासीन अधिकारी, विशेष अदालत के सांसद/विधायक, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ने जेल अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को सत्यापित करने की इच्छा व्यक्त की थी, और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह मामले, पंजाब राज्य को आरोपी/तीसरे प्रतिवादी की बीमारियों का मूल्यांकन करने के लिए तीन डॉक्टरों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। उसी के अनुसार, डॉक्टरों की एक समिति

गठित किया गया था और चिकित्सा रिपोर्ट दिनांकित 27.02.2020 पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, यह कहा गया है कि आरोपी/तीसरा प्रतिवादी/विचाराधीन कैदी मोहम्मद। मुख्तार अंसारी, जिला जेल, रूपनगर, पंजाब में भर्ती होने की तारीख से समय-समय पर जेल अस्पताल और अन्य माध्यमिक और तृतीयक अस्पतालों में इलाज करा रहे थे। चिकित्सा परीक्षणों का विवरण (तिथि-वार) सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

5. यह कहा गया है कि उपरोक्त कारणों को देखते हुए, अभियुक्त/तीसरे प्रतिवादी को समय-समय पर चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सा बोर्ड/विशेषज्ञों की विशिष्ट सलाह के कारण और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 269 के अनुसार, उत्तरदाता पर कानूनी दायित्वों को देखते हुए याचिकाकर्ता-उत्तर प्रदेश राज्य को नहीं सौंपा जा सका।

1973. साजिश के आरोप से इनकार करते हुए, यह कहा गया है कि आरोपी/तीसरा प्रतिवादी अपराध संख्या में दर्ज मामले के अनुसार पंजाब राज्य की रूपनगर जेल में बंद है। 05 2019 से।

VI. यह कहा गया है कि अभिलेख के अनुसार, प्रतिवादी के कार्यालय में उपलब्ध, न तो आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही आरोपी/तीसरा

प्रतिवादी ने जमानत के लिए आवेदन किया है। इस बात से इनकार करते हुए कि प्रतिवादी Cr.P.C की धारा 269 के तहत प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है, यह कहा गया है कि आरोपी/तीसरे प्रतिवादी की चिकित्सा स्थितियों को देखते हुए, उसे याचिकाकर्ता-उत्तर प्रदेश राज्य को नहीं सौंपा जा सका।

उपरोक्त दलीलों के साथ, जवाबी हलफनामे में, प्रतिवादी सं। 1 और 2 ने रिट याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना की।

4. अभियुक्त/तीसरे द्वारा एक अलग जवाबी हलफनामा दायर किया जाता है।

प्रतिवादी मोहम्मद। मुख्तार अंसारी। रिट याचिका में लगाए गए विभिन्न आरोपों का खंडन करते हुए, मामला, जैसा कि जवाबी हलफनामे में कहा गया है, निम्नानुसार हैः

I. अभियुक्त/प्रतिवादी संख्या 3 एम. ए. यू. के वर्तमान विधायक हैं।

बहुजन समाज पार्टी (बी. एस. पी.) से निर्वाचन क्षेत्र। उनके लंबे राजनीतिक जीवन के कारण, उत्तर प्रदेश राज्य में सत्तारूढ़ दल ने उनके खिलाफ तीखी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। राजनीतिक संबद्धता को देखते हुए उनके खिलाफ शत्रुतापूर्ण रूप से अपदस्थ किए गए व्यक्ति द्वारा उनकी जान लेने के कई प्रयास किए गए, जिनमें श्री बृजेश सिंह भी शामिल हैं, जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी के मौजूदा विधायक हैं)। अभियुक्त/तीसरा प्रत्यर्थी 15 साल से अधिक समय से जेल में है और वह स्वयं जल्द से जल्द जेल जाने का इच्छुक है।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटीकृत अधिकार भारत, 'व्यक्तियों' के लिए राज्य के कार्यों के खिलाफ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकता है। चूंकि वह उत्तर प्रदेश राज्य में लंबित मामलों में लगातार भाग ले रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता-राज्य राहत नहीं मांग सकता है, जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है।

III. Cr.P.C की धारा 406 के तहत प्रावधान का उल्लेख करते हुए, यह कहा गया है कि उक्त आवेदन को केवल उत्तर प्रदेश राज्य v के उदाहरण पर ही बनाए रखा जा सकता है।

जेइल सुपरिटेन्डेंट (रोपार) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

भारत के महान्यायवादी या इच्छुक पक्षकार, जैसे कि वर्तमान याचिकाकर्ता-उत्तर प्रदेश राज्य को इच्छुक पक्षकार नहीं माना जा सकता है, ताकि आई. डी. 1 की धारा 406 के तहत शक्ति का उपयोग किया जा सके। याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को दबा दिया है, जिसमें अभियुक्त/तीसरे प्रतिवादी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी गई है, और राहत मांगी गई है, इसलिए इसे उक्त आधारों पर भी खारिज किया जाना है।

IV. यह कहा गया है कि अभियुक्त/तीसरा प्रतिवादी उपस्थित हो रहा है।

उसके खिलाफ दर्ज नए मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। VI. उनकी चिकित्सा स्थितियों के संबंध में, यह कहा जाता है कि उनकी आयु लगभग 65 वर्ष है और वे उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं और उनकी एंजियोग्राफी भी हुई है। उनके चिकित्सा को देखते हुए

डॉक्टरों और मेडिकल बोर्ड ने उन्हें कई महीनों तक पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी थी, जिसे पीजीआई, चंडीगढ़ द्वारा भी मंजूरी दी गई है।

VII. उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वे एक सम्मानित परिवार से आए हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए,

कई मौकों पर उनके जीवन पर कई प्रयास किए गए हैं। जवाबी हलफनामे में कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, जहां उन पर 15.07.2001 और 13.01.2014 पर हमले किए गए थे। यह भी कहा गया है कि श्री बृजेश सिंह और आरोपी/तीसरे के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है।

प्रतिवादी, और वही उत्तर प्रदेश राज्य में अच्छी तरह से जाना जाता है।

यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा खुली धमकी दी गई थी और यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता के राजनीतिक विरोधी इसके माध्यम से दबाव बना रहे थे। विभिन्न राज्य एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिवादी के मामले में लगातार हस्तक्षेप हो और उसके जीवन को फांसी की धमकी दी जाए। उनके द्वारा विभिन्न अधिकारियों को दायर की गई कुछ शिकायतों का उल्लेख करते हुए, यह कहा गया है कि उनके परिवार के सदस्यों के साथ हो रहे अनुचित उत्पीड़न को देखते हुए, उनके परिवार के सदस्यों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के कारण उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

VIII. यह कहा गया है कि अभियुक्त/तीसरे प्रतिवादी के मन में आशंका को देखते हुए, उसने अपने मामलों को स्थानांतरित करने की भी मांग की है

उत्तर प्रदेश राज्य से और कहा कि हर संभव प्रयास उसे असुविधा पहुँचाई जाती है।

स्थानांतरण की मांग करने का कोई कारण नहीं है, जैसा कि प्रार्थना की गई है। इसके अलावा, सभी मुकदमों में उसकी जान को खतरे को देखते हुए, उसे वीडियो के माध्यम से पेश होने की अनुमति है सम्मेलन और आगे, उन बीमारियों को देखते हुए, जिनसे वह पीड़ित है, याचिकाकर्ता-राज्य द्वारा दायर रिट याचिका में स्थानांतरण की मांग करने के लिए कोई योग्यता नहीं है, जैसा कि अनुरोध किया गया है। यह कहा जाता है कि वह स्वयं इसमें रुचि रखते हैं

उसके द्वारा मामलों का शीघ्र निपटान और उसके खिलाफ दर्ज मामलों के शीघ्र निपटान के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।

जवाबी हलफनामे में उपरोक्त कथनों के साथ, तीसरा

प्रत्यर्थी ने रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया। 6. हमने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और विद्वान वरिष्ठ श्री दुष्यंत दवे को सुना है।

उत्तरदाता 1 और 2 की ओर से पेश हुए वकील और तीसरे उत्तरदाता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी।

7. वरिष्ठ वकील श्री तुषार मेहता ने तर्क दिया है कि आरोपी नं। 3 कई मामलों में शामिल है, जहां के गंभीर आरोप

हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी और गैंगस्टर अधिनियम आदि के तहत अपराधों की सुनवाई लंबित है और सभी मामलों को सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने प्रतिवादी नं. 3 जिला जेल, बांदा, उत्तर प्रदेश में ताकि प्रतिवादी संख्या 3 को प्रत्येक मामले में हर तारीख को अदालत के समक्ष पेश किया जा सके और मुकदमे तेजी से समाप्त किए जा सकें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पंजाब राज्य में मोहाली जिले के पुलिस स्टेशन माथौर की फाइल पर आई. पी. सी. की धारा 386 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज 2019 के अपराध मामले के संबंध में, न्यायिक मजिस्ट्रेट I, मोहाली ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 267 के तहत पेशी वारंट जारी किया और उसी को ध्यान में रखते हुए, जिला जेल, बांदा, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधीक्षक ने विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक), इलाहाबाद की अदालत से किसी भी अनुमोदन/आदेश के बिना तीसरे प्रतिवादी को हिरासत में ले लिया, और यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 267 (2) के तहत प्रावधान की पूरी तरह

से अवहेलना थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, मोहाली ने प्रतिवादी संख्या 3 को उत्तर प्रदेश की जिला जेल, बांदा में वापस भेजने के बजाय उसे उत्तर प्रदेश राज्य v.

जेइल सुपरिटेन्डेंट (रोपार) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

24.01.2019 पर जिला जेल, रूपनगर, पंजाब। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक) न्यायालय और कई न्यायालयों द्वारा तीसरी बार लाने के लिए बड़ी संख्या में वारंट जारी किए गए हैं

जिला जेल, रूपनगर, पंजाब से प्रत्यर्थी, लेकिन तीसरे प्रत्यर्थी की अभिरक्षा हासिल करने के सभी प्रयास इस कारण से व्यर्थ साबित हुए कि हर बार जेल अधीक्षक ने तीसरे प्रत्यर्थी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर तीसरे प्रत्यर्थी की अभिरक्षा देने से इनकार कर दिया। रिपोर्टों में खराब स्वास्थ्य किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं देता है और केवल याचिकाकर्ता को उसकी अभिरक्षा देने से बचने के लिए- उत्तर प्रदेश राज्य, ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाती है।

8. यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य द्वारा दायर रिट याचिका निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बनाए रखने योग्य है।

इसलिए, राज्य को भी शामिल करने का उतना ही व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए जितना कि आपराधिक न्याय प्रशासन का उद्देश्य कानून के शासन को संरक्षित और संरक्षित करना है। उनकी दलीलों का समर्थन करने के लिए, विद्वान वकील ने के. अनबाझगन बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। पुलिस अधीक्षक & Ors.[2]।

9. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी स्थिति में, यह न्यायालय पूर्ण कार्य करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

न्याय, क्योंकि तीसरे प्रतिवादी से जुड़े कई मामले, गंभीर आरोपों के साथ, उत्तर प्रदेश राज्य में विचाराधीन हैं।

10. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त/प्रतिवादी नं. 3 उत्तर प्रदेश राज्य में भी जेल से अपनी अवैध गतिविधियों का संचालन कर रहा है

आईपीसी की धारा 419,420,467,468,471,120-बी और धारा 7 के तहत 1 2016 (7) एससीसी 1

2 2004 (3) एससीसी 767 [2021] 2 एस. सी. आर.

शस्त्र अधिनियम। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जवाबी हलफनामों में उल्लिखित कथित चिकित्सा बीमारियां गंभीर प्रकृति की नहीं हैं। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चिकित्सा रिपोर्टों में दिखाई गई बीमारियाँ

उत्तरदाता नए नहीं हैं, उन्हें वर्ष 2008 से ऐसी बीमारियां हो रही थीं, और यह बात अधीक्षक, जिला जेल, ग़ाज़ीपुर से जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र से स्पष्ट होती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तीसरे प्रतिवादी का जिला जेल, रूपनगर, पंजाब राज्य से जिला जेल, बांदा, उत्तर प्रदेश में स्थानांतरण अनिवार्य है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति इस उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी, क्योंकि अतीत में कई बार उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।

नतीजतन, उत्तर प्रदेश में विशेष अदालत में लंबित मुकदमों में असामान्य देरी हो रही है। अपने जीवन के लिए तीसरे उत्तरदाता की कथित धमकी भी अस्थिर है और हिरासत नहीं सौंपने का आधार नहीं हो सकती है।

तीसरे उत्तरदाता का। एक अन्य आरोपी श्री बृजेश सिंह के साथ प्रतिद्वंद्विता बिना किसी आधार के है, क्योंकि श्री बृजेश सिंह

वह पिछले 10 साल से अधिक समय से उत्तर प्रदेश की जेल में भी बंद है। इसके अलावा, तीसरा प्रतिवादी पिछले पंद्रह वर्षों से अधिक समय से उत्तर प्रदेश के बांदा जिला जेल में सुरक्षित रूप से बंद था और उसे विधिवत आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई थी। 11. श्री दुष्यंत दवे, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रतिवादी संख्या की ओर से पेश हो रहे हैं। 1 & 2 , शुरुआत में, यह तर्क दिया गया है कि याचिका, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है

भारत के संविधान के भाग-III के तहत गारंटी, जैसे कि याचिकाकर्ता, एक राज्य होने के नाते, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आंदोलन नहीं कर सकता है। भारत के संविधान के भाग-III के तहत गारंटी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए ए. पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। सरकार. ए. पी. 3 और

उज्जम बाई बनाम के मामले में निर्णय। उत्तर प्रदेश राज्य और भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के मामले में निर्णय। कॉफी बोर्ड बैंगलोर बनाम के मामले में वाणिज्यिक कर अधिकारी और निर्णय। जे. टी. वाणिज्यिक कर अधिकारी मद्रास "।

12. विद्वान वरिष्ठ वकील की आगे की दलीलें यह हैं कि चूंकि मामला जांच के चरण में है, इसलिए याचिकाकर्ता वस्तुतः मांग कर रहा है

3 1986 (2) एस. सी. सी. 667

41963 (1) एससीआर 778

5 1964 (4) एससीआर 99

61969 (3) एस. सी. सी. 349 उत्तर प्रदेश राज्य v. जेइल सुपरिंटेन्डेंट (रोपार) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

देश में एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में जांच का हस्तांतरण और यह अस्वीकार्य है। इस तर्क का समर्थन करने के लिए, राम चंदर सिंह सागर (डी. आर.) बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया जाता है। तमिलनाडु राज्य '। इसके अलावा, Cr.P.C की धारा 406 का उल्लेख करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस धारा के तहत कार्य करने की इस न्यायालय की शक्ति उन मामलों तक सीमित है, जहां आवेदन भारत के अटॉर्नी जनरल या किसी इच्छुक पक्ष द्वारा दायर किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के महान्यायवादी या इच्छुक पक्ष द्वारा ऐसे किसी भी आवेदन के अभाव में, याचिकाकर्ता-राज्य Cr.P.C की धारा 406 के तहत भी स्थानांतरण की मांग नहीं कर सकता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू करने की भी मांग नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है, जो मूल वैधानिक प्रावधानों के विपरीत चलेगा।

13. तीसरे प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया है कि रिट याचिका, जैसा कि

याचिकाकर्ता-उत्तर प्रदेश राज्य विचारणीय नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता-राज्य किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता है, जैसा कि भारत के संविधान के भाग-III के तहत गारंटी दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं में से किसी ने भी राहत के लिए इस न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया है, जिसके अभाव में, याचिकाकर्ता-राज्य राहत का हकदार नहीं है, जैसा कि मांगा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निष्पक्ष सुनवाई अभियुक्त और गवाहों के हितों की रक्षा के लिए है और राज्य के लिए यह आरोप लगाने के लिए खुला नहीं है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियुक्त/तीसरे प्रतिवादी की अभिरक्षा में उपस्थिति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि केवल उन मामलों में जहां भारत के अटॉर्नी जनरल या किसी इच्छुक पक्ष द्वारा आवेदन दायर किया जाता है, यह

न्यायालय Cr.P.C की धारा 406 के तहत कार्य कर सकता है, लेकिन राज्य के कहने पर नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शक्तियों का उपयोग किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनने के लिए भी नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3 2005 से जेल में बंद है, इसलिए मुकदमे में देरी के लिए उसे कोई देरी नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तीसरा उत्तरदाता नियमित रूप से इसके माध्यम से उपस्थित हो रहा है।

यह न्यायालय कोई राहत नहीं दे सकता है, जैसा कि अनुरोध किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न केवल तीसरा उत्तरदाता, बल्कि तीसरे उत्तरदाता के परिवार के सभी सदस्य 71978 (2) एससीसी 35 [2021] 2 एस. सी. आर.

झूठे मामले दर्ज करके परेशान किया जाता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तीसरा

उत्तर प्रदेश राज्य में विचाराधीन सभी मुकदमों में प्रतिवादी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है और यह रिट याचिका, जो गुणदोष से रहित है, खारिज की जा सकती है।

14. हमने विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है

दोनों तरफ और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

15. तीसरा उत्तरदाता/अभियुक्त राज्य में वर्तमान विधायक है।

उत्तर प्रदेश। यह याचिकाकर्ता का मामला है-यह बताएँ कि वह कई मामलों में शामिल है जहां उसके खिलाफ गंभीर आरोप बनाए गए हैं, और ऐसे कई मामलों को इलाहाबाद में सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिका में विशेष रूप से कहा गया है कि मामलों में तेजी लाने के लिए, वर्ष 2018 में सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के निर्माण के बाद, सभी मामलों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा समेकित किया गया था। तीसरे प्रतिवादी को विद्वान के आदेश के अनुसार जिला जेल, बांदा, उत्तर प्रदेश में रखा गया था।

विशेष न्यायाधीश। वे मामले जो मुकदमे के चरण में हैं, जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है, मामले की स्थिति का संकेत देते हुए एक सारणीबद्ध रूप में दिए गए हैं जो निम्नानुसार है:

P.S./District

एस. आई.

की स्थिति

केस नं.

खंड

नहीं।

केस

302 , 307 , 120 & , 34

आईपीसी

1 . साउथ तोला, माउ 399/2010,

तर्क

एस. टी. नं. 130/2010

25/27 शस्त्र अधिनियम और 7 सी.

एल. ए

3 (1) यू. पी गैंगस्टर एक्ट

का फ्रेमिंग

2 . साउथ तोला, माउ 891/2010

शुल्क

एस. टी. नं. 6200002/2012

307 , 506 , 120 बी आई. पी. सी

सबूत

3 . मोहम्मदाबाद, 1182/2009

एस. टी. नं. 10/2010

ग़ाज़ीपुर

3 (1) गैंगस्टर एक्ट

सबूत

4 . मोहम्मदाबाद, 1051/2007

ग़ाज़ीपुर

एस. टी. नं. 6200090/2012

420 , 467 , 468 , 120 बी आई. पी. सी

5 . मोहम्मदाबाद, 263/1990

का फ्रेमिंग

7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

शुल्क

ग़ाज़ीपुर

S.T.No.22/2005

6 . भेलुपुर,

377/1997

506 आई. पी. सी. (रु. 25 करोड़ की जबरन वसूली

का फ्रेमिंग

वाराणसी

S.T.No.3541/2011

मामला)

शुल्क

सबूत के लिए

147 , 148 , 149 , 302 आईपीसी

229/1991

7 . चेतगंज,

वाराणसी

S.T.No.265/2007

सबूत

8 . करंडा,

3 (1) गैंगस्टर एक्ट

482/2010

एस. टी. No.557/2012

ग़ाज़ीपुर

सबूत

9. कोटवाली,

192/1996

3 (1) गैंगस्टर एक्ट

ग़ाज़ीपुर

एस. टी. नं. 620007/2012

20/2014

का फ्रेमिंग

302 , 307 , 147 , 148 , 149 , 120 बी,

10. तरवा,

एस. टी. सं. 6200195/2018 506 आई. पी. सी. और 7 सी. एल. ए.

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रभार v. जेइल सुपरिंटेन्डेंट (रोपार) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

जब उपरोक्त मामले मुकदमे में थे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक मामला है

आई. पी. सी. की धारा 386 और 506 के तहत पुलिस स्टेशन माथौर, जिला मोहाली, पंजाब राज्य में 2019 के अपराध No.05 में पंजीकृत। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट ने Cr.P.C की धारा 267 के तहत एक पेशी वारंट जारी किया, और यह कहा गया है कि उसी के अनुसार, उन्हें जिला जेल, बांदा, उत्तर प्रदेश के अधीक्षक द्वारा विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक), इलाहाबाद की अदालत से किसी भी जवाबी हस्ताक्षर/अनुमति के बिना हिरासत से रिहा कर दिया गया था। इसके बाद, उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, मोहाली, पंजाब राज्य के समक्ष पेश किया गया और

24.01.2019 पर जिला जेल, रूपनगर, पंजाब में रिमांड पर लिया गया, तब से वह उक्त जेल में बना हुआ है। यह कहा गया है कि 14.02.2019 से 14.02.2020 की अवधि के दौरान, जिला जेल में बंद तीसरे प्रतिवादी को पेश करने के लिए बड़ी संख्या में वारंट जारी किए गए हैं।

रूपनगर, पंजाब राज्य के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष पेश करेगा उत्तर प्रदेश, लेकिन, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तीसरे प्रतिवादी की हिरासत को सुरक्षित करने के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि हर बार जेल जाना पड़ता था।

पंजाब के रूपनगर जेल के अधिकारियों ने आरोपी के अस्वस्थ होने के बहाने हिरासत देने से इनकार कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को हिरासत से इनकार करने के लिए विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों को आधार बनाया गया है। यह याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में 14.02.2019 से 14.02.2020 की अवधि के दौरान दर्ज अपराधों के संबंध में तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ जारी किए गए वारंट की संख्या को रूपनगर के जेल अधिकारियों के रूप में निष्पादित नहीं किया जा सका

पंजाब की जेल ने इस आधार पर हिरासत देने से इनकार कर दिया है कि आरोपी/तीसरा प्रतिवादी चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ नहीं है। उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में विभिन्न अपराधों के कई मामलों के संबंध में वारंट जारी करने की तारीख और पेश नहीं किए जाने के कारण भी याचिका में सारणीबद्ध रूप में बताए गए हैं, जो इस प्रकार है:

बी का मुद्दा-आरोपित अपराध आवेदन करने के लिए चेतावनी

NO./P.S।

अदालत ने सूचित किया कि

आरोपी चिकित्सकीय रूप से नहीं है

130/10

14.02.2019

21.02.2019

फिट। अस्वस्थ।

399/10

साउथ तोला, माउ

अदालत ने सूचित किया कि

आरोपी चिकित्सकीय रूप से नहीं है

07.03.2019

08.03.2019

130/10

399/10

फिट। अस्वस्थ।

साउथ तोला, माउ

अदालत ने सूचित किया कि

आरोपी चिकित्सकीय रूप से नहीं है

28.03.2019

30.03.2019

130/10

फिट। अस्वस्थ।

399/10

दक्षिण तोला, माउ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[202

1] 2 एस सी आर।

तिथि

एस. टी. नं. के लिए देय तिथि / गैर-उत्पादन का कारण

बी का मुद्दा-आरोपित अपराध

आवेदन के लिए

चेतावनी

NO./P.S।

अदालत ने सूचित किया कि आरोपी चिकित्सकीय रूप से नहीं है

10.04.2019

11.04.2019

130/10

फिट। अस्वस्थ।

399/10

साउथ तोला, माउ

अदालत ने सूचित किया कि आरोपी चिकित्सकीय रूप से नहीं है

130/10

30.04.2019

29.04.2019

399/10

फिट। अस्वस्थ।

साउथ तोला, माउ

अदालत ने सूचित किया कि

आरोपी चिकित्सकीय रूप से नहीं है

22.06.2019 24.06.2019

130/10

399/10

फिट। अस्वस्थ।

साउथ तोला, माउ

अदालत ने सूचित किया कि

आरोपी चिकित्सकीय रूप से नहीं है

130/10

27.06.2019 (sic) 28.06.2019

फिट। अस्वस्थ।

399/10

साउथ तोला, माउ

अदालत ने सूचित किया कि

आरोपी चिकित्सकीय रूप से नहीं है

130/10

04.07.2019

05.07.2019

फिट। अस्वस्थ।

399/10

साउथ तोला, माउ

अदालत ने सूचित किया कि

आरोपी चिकित्सकीय रूप से नहीं है

20.07.2019 22.07.2019

130/10

फिट। अस्वस्थ।

399/10

साउथ तोला, माउ

23.07.2019 26.07.2019

मधुमेह रोग से पीड़ित

अभियुक्त,

130/10

399/10

पी. आई. वी. डी., त्वचा

एलर्जी, उच्च रक्तचाप।

साउथ तोला, माउ

आरोपी को उच्च श्रेणी का

बुखार, दर्द है

130/10

17.07.2019

22.07.2019

गले, पीठ दर्द और सीने में दर्द।

399/10

साउथ तोला, माउ

30.07.2019

130/10

मधुमेह रोग से पीड़ित

अभियुक्त,

27.07.2019

पी. आई. वी. डी., त्वचा की

एलर्जी, उच्च रक्तचाप, गंभीर

399/10

दक्षिण तोला, माउ पीठ दर्द, उच्च श्रेणी का बुखार, गले में खराश,

पीठ दर्द, सीने में दर्द

आरोपी को बाथरूम में पर्ची मिल गई और

130/10

30.07.2019

01.08.2019

पीठ में चोट लगना और

399/10

दक्षिण तोला, मऊ चलने में असमर्थ

मधुमेह रोग से पीड़ित

अभियुक्त,

02.08.2019

05.08.2019

130/10

399/10

पी. आई. वी. डी., त्वचा

एलर्जी, उच्च रक्तचाप, आवश्यकताएँ

साउथ तोला, माउ बेडरेस्ट 25.08.19 तक।

अदालत ने सूचित किया कि

आरोपी चिकित्सकीय रूप से नहीं है

130/10

05.08.2019

08.08.2019

फिट। अस्वस्थ।

399/10

साउथ तोला, माउ

आरोपी चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है।

10.08.2019

25.08.2019

130/10

399/10

साउथ तोला, माउ

आरोपी चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है।

130/10

17.08.2019

25.08.2019

399/10

आरोपी चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है।

130/10

27.08.2019

02.10.2019

399/12

12.10.2019

130/10

चिकित्सक मंडल द्वारा अभियुक्त की जाँच की गई

02.10.2019

(एस. आई. सी) सिविल

अस्पताल रूपनगर में।

399/14

निर्धारित दवा और सख्त बिस्तर

आराम

03.10.19 से 02.01.2020

तक। कठिनाई

पैरों पर भार डालना।

उत्तर प्रदेश राज्य v. जेइल सुपरिटेन्डेंट (रोपार) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

एस. टी. सं. के लिए देय तिथि। / गैर-उत्पादन का कारण

बी का मुद्दा-आरोपित अपराध

चेतावनी

आवेदन के लिए

NO./P.S।

आरोपी चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है और उसे बिस्तर की सलाह दी गई है

12.10.2019

22.10.2019

130/10

399/15

आराम करें।

आरोपी चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है और उसे बिस्तर की सलाह दी गई है

26.10.2019

130/10

04.11.2019

399/15

आराम करें।

आरोपी चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है और उसे बिस्तर की सलाह दी गई है

130/10

01.11.2019

02.01.2020

399/16

आराम करें।

3541/12

आरोपी चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है और उसे बिस्तर की सलाह दी गई है

03.01.2020

13.01.2020

377/98

आराम करें।

आरोपी को पीठ में गंभीर दर्द है। सलाह दी।

27.01.2020

07.02.2020

3541/12

बेडरेस्ट डब्ल्यू. ई. एफ. 21.01.2020 से 20.04.2020

377/99

अभियुक्त को तीन महीने बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई

07.02.2020 10.02.2020

3541/12 377/99

न्यूरोलॉजी, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़

14.02.2020

17.02.2020

अभियुक्त ने बेडरेस्ट डब्ल्यू. ई.

एफ. 21.01.2020 को सलाह दी

3541/12

377/100

न्यूरोलॉजी, पीजीआईएमईआर

द्वारा 20.04.2020 तक

उपरोक्त चार्ट में बताए गए कारणों का उल्लेख करके, यह मामला है

याचिकाकर्ता का कहना है कि अभिरक्षा नहीं देने के लिए दिए गए कारण सही नहीं हैं और केवल तीसरे प्रतिवादी के कहने पर, मधुमेह मेलिटस, त्वचा एलर्जी, उच्च रक्तचाप जैसी छोटी बीमारियों का उल्लेख करके, पीठ दर्द, गले में संक्रमण, आदि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत से इनकार कर दिया है, केवल मुकदमों को बढ़ाने के लिए, जो इलाहाबाद में सांसदों/विधायकों के मुकदमे के लिए गठित विशेष अदालत में लंबित हैं। यह विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है

याचिकाकर्ता द्वारा-यह बताएँ कि हालाँकि 2019 का अपराध No.05 08.01.2019 पर पुलिस स्टेशन माथौर, जिला मोहाली, पंजाब राज्य द्वारा दर्ज किया गया था, लेकिन वैधानिक अवधि के भीतर जांच पूरी करके कोई अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, फिर भी, तीसरे प्रतिवादी ने यह नहीं चुना है कि जमानत देने के लिए आवेदन करें, ताकि उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न मामलों में उसकी उपस्थिति से बचा जा सके।

16. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के साथ-साथ तीसरा

प्रत्यर्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत दायर इस याचिका की स्थिरता को चुनौती दे रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता, एक राज्य होने के नाते,

भारत के संविधान के भाग-III के तहत गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकते हैं, ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करके राहत प्राप्त की जा सके। प्रत्यर्थियों का भी यही मामला है कि यह याचिका भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत विचारणीय नहीं है। यह उत्तरदाताओं का मामला है कि Cr.P.C की धारा 406 के तहत शक्ति इस न्यायालय को मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने के लिए प्रदान की जाती है, केवल भारत के अटॉर्नी जनरल या किसी इच्छुक पक्ष द्वारा आवेदन की स्थिति में।

21] 2 एस सी आर।

17. यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत दायर की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अध्याय XXXI आपराधिक मामलों के हस्तांतरण से संबंधित एक अध्याय है। दंड संहिता की धारा 406 प्रक्रिया, 1973 निम्नानुसार है:

" 406.उच्चतम न्यायालय की मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की शक्ति। (1) जब भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस धारा के तहत कोई आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तो वह निर्देश दे सकता है कि किसी विशेष मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ आपराधिक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के समान या उच्चतर क्षेत्राधिकार वाले दूसरे आपराधिक न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।

अदालत।

शपथ पत्र या पुष्टि द्वारा समर्थित। (3) जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहां सर्वोच्च न्यायालय, यदि यह राय है कि आवेदन तुच्छ या परेशान करने वाला था, तो आवेदक को किसी को भी मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दे सकता है।

व्यक्ति जिसने आवेदन का विरोध किया है ऐसी राशि नहीं

एक हजार रुपये से अधिक जो उचित लगे।

मामले की परिस्थितियों में "।

18. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की उपरोक्त धारा 406 के सरल अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इस पर शक्ति प्रदान की गई है।

भारत के महान्यायवादी या किसी इच्छुक पक्ष द्वारा दायर आवेदन पर मामलों और अपीलों के हस्तांतरण के लिए न्यायालय। प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकीलों के अनुसार, याचिकाकर्ता राज्य को "इच्छुक पक्ष" नहीं कहा जा सकता है। उत्तरदाताओं की दलीलों को यह कहना स्वीकार करना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता-राज्य कोई पक्षकार नहीं है। यह अच्छी तरह से कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध को बड़े पैमाने पर राज्य और जनता के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए। आपराधिक प्रशासन प्रणाली में, राज्य अभियोजन एजेंसी है, जो काम कर रही है। राज्य के लोगों के लिए और उनकी ओर से। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि "इच्छुक पक्ष" को दंड प्रक्रिया संहिता, उत्तर प्रदेश राज्य v के तहत परिभाषित नहीं किया गया है।

जयल सुपरिटेन्डेंट (रोपार) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

1973. "इच्छुक पक्ष" शब्दों का व्यापक महत्व है और इसलिए, एक व्यापक अर्थ देकर उनकी व्याख्या की जानी चाहिए। जैसे शब्द " विभिन्न कानूनों में पीड़ित पक्ष "," कार्यवाही का पक्ष "और" इच्छुक पक्ष "का उपयोग किया जाता है। यदि उपयोग किए गए शब्द "कार्यवाही में पक्षकार" या "मामले में पक्षकार" के प्रभाव के लिए हैं, तो इसका सीमित अर्थ दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में, विधायिका का इरादा स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाने का है

अर्थ। लेकिन, साथ ही, "इच्छुक पक्ष" के रूप में उपयोग किए जाने वाले शब्द, जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, उन्हें व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। आपराधिक मामले में अभियोजन एजेंसी के रूप में

प्रशासन, राज्य को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 (2) के अर्थ में रुचि रखने वाला पक्ष कहा जा सकता है। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि क़ानून की व्याख्या क़ानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए न कि उसे पराजित करने के लिए। याचिकाकर्ता-राज्य, आपराधिक प्रशासन में एक अभियोजन एजेंसी होने के नाते, ऐसे प्रशासन में बहुत रुचि रखता है, इसलिए हमारा विचार है कि राज्य को संहिता की धारा 406 की उप-धारा (2) के अर्थ के भीतर एक "इच्छुक पक्ष" माना जाता है। के. अनबाझगन बनाम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। पुलिस अधीक्षक

& Ors.² याचिकाकर्ता के मामले का भी समर्थन करता है-राज्य उक्त याचिका को स्वीकार करने के लिए कि वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 (2) के अर्थ के भीतर रुचि रखने वाले पक्षकार हैं। इस प्रकार, हम मानते हैं कि यह याचिका, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत दायर की गई है, विचारणीय है।

19. चूंकि, हमारा विचार है कि यह याचिका, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत दायर की गई है, निम्न में बनाए रखने योग्य है -

राज्य के उदाहरण के अनुसार, हमारे लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस याचिका की स्थिरता के मुद्दे पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं है।

भारत।

20. इसके बाद, हम राहत देने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका पर जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि रिट याचिका में अनुरोध किया गया है। उसी के पैरा-26 (ए) के तहत रिट याचिका में मांगी गई राहत, याचिकाकर्ता प्रतिवादी को आदेश देते हुए निर्देश मांग रहा है-राज्य और न्यायिक

मजिस्ट्रेट-I, मोहाली, पंजाब राज्य आपराधिक कार्यवाही और मामले में मुकदमे को स्थानांतरित करने के लिए। 05 2019 का, पंजाब राज्य बनाम। मुख्तार अंसारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, मोहाली के समक्ष लंबित है। इसके अलावा, रिट याचिका के पैरा-26 (बी) के तहत, याचिकाकर्ता उत्तरदाता 1 और 2 को निर्देश देने की मांग कर रहा है कि वे तीसरे उत्तरदाता को रूपनगर जेल, जिला रोपड़, पंजाब राज्य से

हिरासत में सौंप दें, ताकि उसे उत्तर प्रदेश राज्य की जिला जेल, बांदा में रखा जा सके। रिट याचिका में मांगी गई राहत का विरोध करते हुए, रखरखाव पर चुनाव लड़ते हुए, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 2 एस सी आर।

उत्तरदाताओं का यह भी मामला है कि अब तक किसी भी सक्षम न्यायालय में और मामले सं. 05 वर्ष 2019 जांच के चरण में है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 के तहत शक्ति के प्रयोग में कोई राहत नहीं दी जा सकती है। प्रतिवादी 1 और 2 की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री दुष्यंत दवे ने राम चंदर सिंह सागर (डी. आर.) बनाम के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है। तमिलनाडु राज्य '। उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार है -

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत किसी मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति वाला न्यायालय। लेकिन, यह इस न्यायालय को जांच के चरण में स्थानांतरण की शक्ति प्रदान नहीं करता है।

21. यहां तक कि याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, अपराध सं। 05 2019 का, पुलिस स्टेशन माथौर, जिले की फाइल पर पंजीकृत

मोहाली, पंजाब राज्य, आई. पी. सी. की धारा 386 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए, पुलिस द्वारा कोई अंतिम रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है और मामला जांच के चरण में है। एफ़. आई. आर. की एक प्रति अभिलेख पर रखी जाती है जिसमें एफ़. आई. आर. संख्या एफ़. आई. आर. No.05 के रूप में उल्लिखित है और इसे एफ़. आई. आर. पर दर्ज किया गया था।

08.01.2019 . अपराध सं. में जांच के रूप में। 05 पुलिस थाना माथौर, जिला मोहाली, पंजाब राज्य की फाइल पर 2019 की रिपोर्ट अभी भी जांच के चरण में है और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के अभाव में, हम प्रतिवादियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों से सहमत हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत स्थानांतरण की मांग करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत स्थानांतरण की मांग करता है।

रिट याचिका के पैरा-26 (ए) में राहत मांगी गई है। राम चंदर सिंह सागर (डी. आर.) बनाम के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। श्री दुष्यंत दवे द्वारा भरोसा किए गए तमिलनाडु राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील, उत्तरदाताओं की ओर से पेश होते हुए, उत्तरदाताओं के मामले का समर्थन करते हैं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

" दंड प्रक्रिया संहिता इस न्यायालय को धारा 406 के तहत एक उच्च न्यायालय या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले या अपील को दूसरे उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन यह

इस न्यायालय को स्थानांतरण की शक्ति नहीं देता है

देश में एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में जांच केवल इसलिए की जाती है क्योंकि पहली सूचना या रिमांड रिपोर्ट अदालत को भेजी जाती है। हमारे सामने आवेदन उत्तर प्रदेश राज्य V से उत्पन्न होता है।

जेइल सुपरिटेन्डेंट (रोपार) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

धारा 406 के दायरे के बारे में गलत धारणा। जैसा कि स्पष्ट किया गया है, अभी तक किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई मामला लंबित नहीं है।

तमिलनाडु राज्य का जवाबी हलफनामा। इस जवाबी हलफनामे के आलोक में, खारिज करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है यह याचिका "।

हमारे उपरोक्त तर्क को देखते हुए, कोई राहत नहीं हो सकती है

इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, जैसा कि रिट याचिका के पैरा-26 (ए) के तहत मांगा गया है, प्रदान किया गया। 22. साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा है कि अगर कोई राहत नहीं मिलनी है तो

इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण न्याय करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करना स्पष्ट रूप से एक उपयुक्त मामला है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के समक्ष गंभीर अपराधों के लिए तीसरे प्रतिवादी से जुड़े दस से अधिक आपराधिक मामले मुकदमे के विभिन्न चरणों में हैं। इसके बावजूद, तीसरे प्रतिवादी की हिरासत पंजाब राज्य में दर्ज एक मामले के अनुसार ली जाती है और वर्तमान में और लगातार, वह 24.01.2019 से पंजाब राज्य की रूपनगर जेल में बंद है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मामलों के अलावा, जो इलाहाबाद में सांसदों/विधायकों के मुकदमे के लिए गठित विशेष अदालत में विचाराधीन हैं, विभिन्न अपराधों में तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ कई पुलिस मामलों में दर्ज किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में स्टेशन, वारंट लौटाए जाते हैं और

एक या दूसरे कारण से निष्पादित नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि छोटी-मोटी बीमारियाँ दिखाकर, तीसरे प्रतिवादी की अभिरक्षा को रूपनगर जेल, जिला रोपड़, पंजाब के जेल अधीक्षक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि 2019 के अपराध No.05 में दर्ज अपराध में पुलिस स्टेशन माथौर, जिला मोहाली, पंजाब राज्य की फाइल पर, जो आई. पी. सी. की धारा 386 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज है, जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है और अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है, फिर भी तीसरे प्रतिवादी ने डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए आवेदन भी नहीं किया है, जैसा कि वह हकदार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तीसरे प्रत्यर्थी का आचरण ही इंगित करता है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य में सांसदों/विधायकों के लिए विशेष न्यायालय में लंबित मुकदमों को आगे बढ़ाने और अन्य न्यायालयों में उनकी उपस्थिति से बचने की कोशिश कर रहा है, जहां उनकी उपस्थिति आवश्यक है।

तीसरे प्रत्यर्थी की ओर से पेश होते हुए, दृढ़ता से तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का आह्वान करते हुए, इस न्यायालय द्वारा कोई राहत देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को व्यापक शक्ति प्रदान करता है और वैधानिक अधिनियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, फिर भी यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोई आदेश पारित नहीं करेगा, जो लागू होने वाले मूल कानून को प्रतिस्थापित करने या इसकी अनदेखी करने के बराबर होगा। विषय से संबंधित वैधानिक प्रावधान। इस तर्क के समर्थन में, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने ए. बी. भास्कर राव बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। सी. बी. आई. और हरियाणा राज्य के मामले में बनाम। सुमित्रादेवी '।

24. विद्वान सॉलिसिटर जनरल, श्री तुषार मेहता, की ओर से पेश हुए

याचिकाकर्ता-राज्य ने प्रस्तुत किया कि हालांकि सभी मामलों को विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसे सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित किया गया था, इलाहाबाद को तेजी से ट्रैक करने के लिए, जेल में तीसरे प्रतिवादी का जारी रहना, जो किसी अन्य राज्य में दूर है, परीक्षण के साथ आगे बढ़ने में एक बाधा बन गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तीसरे प्रतिवादी के खिलाफ विशेष न्यायालय में लंबित मुकदमों के अलावा, तीसरे की उपस्थिति

विभिन्न अन्य मामलों के संबंध में भी प्रत्यर्थी आवश्यक है, जहां तीसरे प्रत्यर्थी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के कई पुलिस थानों में जांच के चरण में हैं और इसके बावजूद, सक्षम न्यायालय द्वारा जारी वारंट रूपनगर जेल, पंजाब के जेल अधीक्षक द्वारा वापस किए जाते हैं।

हर बार तीसरे उत्तरदाता का खराब स्वास्थ्य दिखाकर। पुष्टि करने के लिए

याचिकाकर्ता-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने यह दलील दी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय द्वारा शक्ति का उपयोग करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है, उन्होंने सैहबा अली बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। की स्थिति

1, कल्याण चंद्र सरकार बनाम के मामले में। राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव और अन्र "। और आशा रंजन बनाम के मामले में। बिहार राज्य 1.

8 2011 (10) एससीसी 259 9 2004 (12) एससीसी 322 10 2003 (7) एससीसी 250 11 2005 (3) एससीसी 284 12 2017 (4) एससीसी 397 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम।

जयल सुपरिटेन्डेंट (रोपार) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

तीसरे प्रत्यर्थी की अभिरक्षा को रूपनगर जेल से स्थानांतरित करने का आदेश देने के लिए याचिका के पैरा-26 (बी) के तहत मांगी गई सीमा तक राहत प्रदान करना, जिला रोपड़, पंजाब से जिला जेल, बांदा, उत्तर प्रदेश। यह विवाद में नहीं है कि विशेष न्यायाधीश, सांसद/विधायक, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन मामलों और स्थिति के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए चार्ट के अवलोकन से संकेत मिलता है कि तीसरा प्रतिवादी हत्या, हत्या, धोखाधड़ी के प्रयास के विभिन्न मामलों में शामिल है।

गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराधों के अलावा साजिश, आदि। ने कहा कि

जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित मामले, दस में संख्या, मुकदमे के विभिन्न चरण हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने ऐसे मामले प्रस्तुत किए हैं, जहां अदालतों द्वारा विभिन्न अपराधों में वारंट जारी किए गए थे, जो मऊ जिलों आदि में दर्ज किए गए थे, और जब पुलिस हिरासत लेने गई थी, तो पहले प्रतिवादी ने चिकित्सा आधार पर हिरासत सौंपने से इनकार कर दिया था। वजहें।

गैर-उत्पादन के लिए सारणीबद्ध रूप में उल्लेख किया गया है। 14.02.2019 से 14.02.2020 तक की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश की पुलिस को 26 मौकों पर प्रथम प्रतिवादी द्वारा हिरासत से इनकार कर दिया जाता है। अभिरक्षा न देने के कारणों के अवलोकन से पता चलता है कि यह मुख्य रूप से मधुमेह, त्वचा की एलर्जी, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द, गले के संक्रमण आदि के संदर्भ में चिकित्सा आधार पर है। हालांकि, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि अपराध सं. 05 पुलिस थाना माथौर, जिला मोहाली, पंजाब की फाइल पर 2019 का मामला तीसरे प्रतिवादी के कहने पर साजिश का हिस्सा है ताकि वह पंजाब की जेल में बना रहे।

इस स्तर पर साजिश का ऐसा आरोप, लेकिन, साथ ही, हम संतुष्ट हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को हिरासत से इनकार कर दिया गया है हर बार मामूली आधार पर चिकित्सा आधार की आड़ में मधुमेह, त्वचा की एलर्जी, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द, गले के संक्रमण आदि जैसी सामान्य बीमारियों का उल्लेख करके। इसके अलावा, यह अंतिम रिपोर्ट (आरोप [2021] 2 एस. सी. आर. दाखिल नहीं करने के लिए, डिफ़ॉल्ट जमानत देने के लिए आवेदन भी नहीं करने में तीसरे प्रतिवादी के आचरण पर कोई भी संदेह देता है।

पत्रक) वैधानिक अवधि के भीतर पुलिस, पुलिस थाना माथौर, जिला मोहाली, पंजाब द्वारा। हालाँकि, यह तीसरे उत्तरदाता का मामला है,

मांगी गई राहत का इस आधार पर विरोध करना कि उन्हें अधिकांश मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति है, लेकिन यह अपने आप में मांगी गई राहत का विरोध करने का कोई आधार नहीं है। हालाँकि, पहले के मामले विभिन्न सत्र न्यायालयों में लंबित थे और केवल मामलों को तेजी से ट्रैक करने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 2018 में सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन किया गया है। ऐसे संविधान पर, वे सभी मामले जहां तीसरा प्रतिवादी आई. पी. सी. और गैंगस्टर अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों के लिए शामिल है, विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए थे और सभी विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं। विशेष न्यायालय के आदेशों के अनुसार, केवल तीसरे प्रतिवादी को उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा में जेल में रखा गया था, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसकी उपस्थिति का आदेश दिया जा सके। इसलिए, हमारी राय में, एक दोषी या विचाराधीन कैदी, जो देश के कानून की अवज्ञा करता है, एक जेल से दूसरी जेल में उसके स्थानांतरण का विरोध नहीं कर सकता है, एक दोषी या विचाराधीन कैदी हो सकता है, अदालतों को असहाय दर्शक नहीं होना चाहिए, जब कानून के शासन को दंड से मुक्त किया जा रहा है। ऐसी स्थितियों में, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक कैदी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

एक और। हालाँकि, द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1950 नामक एक अलग अधिनियम है, जो सरकार द्वारा एक कैदी को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, लेकिन यह अधिनियम की धारा 3 के तहत सीमित है, इसलिए याचिकाकर्ता का दावा इसमें फिट नहीं होगा। फिर भी यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध की गई परिस्थितियों में कैदी के स्थानांतरण पर विचार कर सकता है। कानून के हथियार स्थिति को सुधारने के लिए काफी लंबे हैं। यदि याचिकाकर्ता को कोई चिकित्सीय बीमारी है, तो जेल अधिकारियों द्वारा हर तरह की देखभाल की जाएगी, लेकिन

उसी समय, मामूली बीमारियों का उल्लेख करके खराब स्वास्थ्य के विशाल अनुरोध पर, अभियुक्त/तीसरा प्रतिवादी राहत का विरोध नहीं कर सकता है, जैसा कि रिट याचिका में कहा गया है। यह सच है कि ए. बी. भास्कर राव बनाम के मामले में। सी. बी. आई. और हरियाणा राज्य के मामले में बनाम। ', इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, जो क़ानून या वैधानिक नियमों के विपरीत हो। विभिन्न राज्यों में एक कैदी का एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरण कैदी हस्तांतरण अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि "किसी अन्य राज्य की सरकार की सहमति से उस राज्य की सरकार, आदेश द्वारा, कैदी को उस जेल से उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य में हटाने का प्रावधान करती है।

जेइल सुपरिटेन्डेंट (रोपार) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

दूसरे राज्य में जेल "। यह स्पष्ट है कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है

विचाराधीन कैदी के स्थानांतरण के लिए कोई प्रावधान। कैदी को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

दूसरा, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय, निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए,

दी गई परिस्थितियों में आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए निर्णय, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, इस मामले में उनकी याचिका का कोई समर्थन नहीं करेंगे। सैहबा अली बनाम के मामले में निर्णय में। महाराष्ट्र राज्य ", यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह न्यायालय पूर्ण न्याय करने के लिए तथ्यों पर उचित पारित कर सकता है, भले ही दायर की गई रिट याचिका बनाए रखने योग्य न हो। कल्याण चंद्र सरकार बनाम के मामले में एक कैदी का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए था। राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव और अन्र "। , जहां इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी कैदी या बंदी को स्थानांतरित करने की शक्ति, या तो उसके स्वयं के प्रस्ताव पर या अन्यथा, इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश दिया जा सकता है। उक्त निर्णय के पैरा 23,24 और 25, जो इस मामले के लिए प्रासंगिक पैरा हैं, निम्नानुसार पढ़े जाते हैं:

..... 23 . इसलिए, हमारी राय में, एक दोषी या विचाराधीन व्यक्ति जो देश के कानून की अवज्ञा करता है, यह तर्क नहीं दे सकता है कि उसे एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है क्योंकि जेल नियमावली में इसके लिए प्रावधान नहीं है। यदि तथ्यात्मक स्थिति में किसी कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह दोषी हो या विचाराधीन, तो अदालतों को असहाय दर्शक नहीं होना चाहिए जब कानून के शासन को चुनौती दी जा रही हो।

दण्ड से मुक्ति। एक कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करके भी स्थिति को सुधारने के लिए कानून के हथियार काफी लंबे हैं। दूसरा, यह मानते हुए कि संबंधित जेल नियमावली इस तरह के स्थानांतरण का प्रावधान नहीं करती है। हमारी राय में, विद्वान वकील का तर्क, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है,

कानून का अधिकार और महिमा। ऊपर बताए गए तथ्य

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिवादी के पास समय है और उसने हिरासत में रहते हुए और कभी-कभी जमानत पर रहते हुए भी कानून का उल्लंघन किया है। हमें इसमें पूरी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कि बेउर जेल और डॉक्टरों का प्रबंधन करने वाले अधिकारी

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से संबंधित, अपने स्वयं के कारणों से, या तो स्वेच्छा से या अन्यथा, सक्षम किया है कानून का

उल्लंघन करने के लिए प्रतिवादी। इस प्रक्रिया में, हम सोचते हैं कि संबंधित अधिकारी, विशेष रूप से बेउर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के अधिकारी

एस सी आर।

केंद्रीय जेल, पटना, अवैध कार्य को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है।

उत्तरदाता की गतिविधियाँ। इसलिए यह आवश्यक है कि

प्रत्यर्थी को बिहार के बाहर स्थानांतरित किया जाए।

241 3 13 *। कैदियों के अंतर-राज्यीय हस्तांतरण से संबंधित मामला यह कैदी हस्तांतरण अधिनियम, 1950 द्वारा शासित है। खंड 3

उक्त अधिनियम का पाठ इस प्रकार है:

3. एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदियों को हटाना। - (1)

जहाँ कोई व्यक्ति किसी राज्य की जेल में बंद है,

((क) मृत्युदंड के अधीन, या

((ख) किसी वाक्य के अधीन या उसके स्थान पर

कारावास या परिवहन, या

(ग) जुर्माने का भुगतान न करने पर, या

(घ) शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने में चूक

या अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए;

उस राज्य की सरकार, की सहमति से

किसी अन्य राज्य की सरकार, आदेश द्वारा,

कैदी को उस जेल से किसी भी जेल में हटाना

अन्य राज्य "। 25. उपरोक्त प्रावधान का एक नंगे अवलोकन होगा

स्पष्ट रूप से यह दिखाने के लिए जाएं कि इसके लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं है

विचाराधीन कैदी का स्थानांतरण। अंतरराज्य के लिए प्रार्थना इससे पहले एक बंदी का स्थानांतरण विचार के लिए आया था

डेविड पैट्रिक वार्ड बनाम में न्यायालय। भारत संघ 1 4 जहाँ एक

निवारक निरोध का मामला जिसमें याचिकाकर्ता को दर्ज किया गया था

इलाहाबाद की नैनी जेल में। याचिकाकर्ता ने एक प्रार्थना की

तिहाड़ जेल, दिल्ली में उनका स्थानांतरण अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि

भेजने वाला राज्य जो जेल में है या हिरासत में है राजनयिक संबंधों पर वियना समझौते का अनुच्छेद 36।

नैनी जेल के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जब भी

ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास के अधिकारी दौरा करना चाहते हैं। संबंध, उसके लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, यह

अदालत ने उक्त अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन, यह निर्णय

पैरा 24 को आधिकारिक शुद्धिपत्र No.F.3/Ed.B.J./25/2005 दिनांक 2005 के माध्यम से सही किया गया।2) 4 एससीसी 154:

1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 814 उत्तर प्रदेश का ए. टी. ई. v. जेइल सुपरिंटेन्डेंट (रोपार) [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

इस तथ्य का एक सूचक है कि एक उपयुक्त मामले में, ऐसा अनुरोध

एक विचाराधीन कैदी या एक बंदी द्वारा भी बनाया जा सकता है और

इसके विपरीत कोई वैधानिक प्रावधान नहीं होने के कारण, यह न्यायालय

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

संविधान आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।

26. इस न्यायालय द्वारा आशा रंजन बनाम मामले में निष्पक्ष सुनवाई और एक कैदी को एक से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की अवधारणा पर भी विस्तार से विचार किया गया है। बिहार राज्य 1 2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के एक पहलू के रूप में निष्पक्ष 1 की अवधारणा का विश्लेषण करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि इसमें अभियुक्त, अभियोजन पक्ष और पीड़ित के हित शामिल हैं। यह माना जाता है कि पीड़ित एक अकेला व्यक्ति हो सकता है जिसने पीड़ित किया हो, लेकिन एकवचन से हुई चोट से समुदाय के हित प्रभावित होने की संभावना है। पैराग्राफ 86.4,5,86.6 और 86.7 द्वारा कवर किए गए निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

" ..... 86.4 . दोनों के बीच संतुलन का वजन

निष्पक्ष सुनवाई के मामले में दृष्टिकोण संवैधानिक मानदंडों और संवेदनशीलता के पैमाने पर वजन किए गए तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जनहित।

1950 के अधिनियम की धारा 3 एक नहीं बनाती है

86.5 .

न्यायालय की ओर से किसी अभियुक्त या दोषी को किसी राज्य की एक जेल से दूसरे राज्य की दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का आदेश पारित करने में बाधा क्योंकि यह केवल कार्यपालिका पर शक्ति के प्रयोग पर रोक लगाता है।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय

86.6 .

संविधान संविधान के तहत प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता है और मौलिक नीतिगत सिद्धांतों पर आधारित मूल प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित नहीं कर सकता है।

फिर भी जब वर्तमान प्रकृति का कोई मामला सामने आता है, तो वह उचित निर्देश जारी कर सकता है ताकि आपराधिक मुकदमा कानून के अनुसार चलाया जा सके। स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना इस न्यायालय का दायित्व और कर्तव्य है।

86.7

यह निवेदन कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत समानता अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को सीवान जेल से किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में स्थानांतरित नहीं कर सकता है

21] 2 एस सी आर।

दूसरे राज्य में अन्य जेल अस्वीकार्य है क्योंकि उक्त तर्क का मूल आधार गलत है।

क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई के मुद्दे को संबोधित करते समय, न्यायालय समानता में किसी भी प्रकार के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर रहा है।

27. उन कारणों के अलावा जो हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं

ऊपर, मामला कानून, जिसे याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा ऊपर संदर्भित किया गया है, रिट याचिका के पैरा-26 (बी) में मांगी गई सीमा तक राहत देने के लिए याचिकाकर्ता के मामले का भी समर्थन करता है।

28. उपरोक्त कारणों से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस रिट याचिका को निम्नलिखित निर्देशों और टिप्पणियों के साथ आंशिक रूप से अनुमति दी गई है:

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई यह याचिका

आई.

भारत/दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 के तहत बनाए रखने योग्य माना जाता है।

राहत, मामले के हस्तांतरण के लिए मांगी गई, के संदर्भ में

ii.

इस याचिका का पैरा-26 (ए) मंजूर नहीं किया गया है, क्योंकि 2019 के अपराध का मामला पुलिस स्टेशन माथौर, जिला मोहाली, पंजाब की फाइल पर जांच के चरण में है, इसलिए आई. डी. 2 की धारा 406 नहीं दी जा सकती है।

सेवा में लगाया गया।

साथ ही, अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए

iii.

भारत के संविधान के अनुसार, हम प्रतिवादी संख्या को निर्देश देते हुए निर्देश जारी करते हैं। 1 & 2 , तीसरे प्रत्यर्थी की अभिरक्षा आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य को सौंपना, ताकि उसे जिला जेल में रखा जा सके।

उत्तर प्रदेश राज्य में बांदा। यह सांसदों/विधायकों के लिए गठित विशेष न्यायालय के लिए खुला है।

iv.

इलाहाबाद में उसे या तो जिला जेल में जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में बांदा या किसी अन्य जेल में स्थानांतरण,

यदि कोई आवश्यकता हो। जेल अधीक्षक को एक निर्देश होगा,

वी.

जिला जेल बांदा, उत्तर प्रदेश आवश्यक विस्तार करेगा

तीसरे उत्तरदाता को चिकित्सा सुविधाएँ। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि तीसरे प्रतिवादी के लिए किसी विशेष उपचार की आवश्यकता है, तो जिला जेल, बांदा के जेल अधीक्षक, राडेश v.

जेइल सुपरइंटेन्डेंट (आरओपीएआर)

[आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

आदेश इसके विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

जेल नियमावली का पालन करके भी ध्यान रखें।टियन (सी. आर. एल.) नं. 104-114 2021 का]

लिखित याचिका (सी. आर. एल.) में उपरोक्त आदेश पारित नहीं किया गया। No.409 यह न्यायालय पहले ही दावे को खारिज कर चुका हैइस प्रकार के मामलों में, हम कोई योग्यता नहीं पाते हैं, और उन्हें तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई और स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।